संख्या- **9**/2021 /310/ सत्रह-म-2021 -10-5(14)/2000 टी0सी0

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख स चव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश मत्स्य वकास निगम ल0,
लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी,**2021**

वषय: उत्तराखण्ड राज्य में स्थित 05 जलाशयों एवं उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड दोनों राज्यों में स्थित शारदा सागर जलाशय से वर्ष 2001-02 से 2003-04 की अव ध में प्राप्त कुल आय में से संचाई वभाग, उ0प्र0 के रायल्टी अंश की धनरा श रू0 **3,98,39,139.00** उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक वकास अ भकरण को हस्तान्तरित कये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त वषयक अपने पत्र संख्या-3073/प्र0नि0/म0 व0नि0/जलाशय/2020-IV दिनांक 26.08.2020 एवं पत्र सं0-**3935**/म0 व0नि0/प्र0नि0/2020 दिनांक 08.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है क उत्तर प्रदेश राज्य के वभाजन के पूर्व **1983** में संचाई वभाग के नियत्रंणाधीन **13** जलाशयों को मत्स्य वभाग द्वारा उत्तर प्रदेश मत्स्य वकास निगम ल**0** को संचाई वभाग द्वारा निर्धारित इस शर्त/प्रतिबन्ध के साथ हस्तान्तरित कया गया था क वह प्राप्त होने वाले कुल राजस्व में से एक तिहाई भाग संचाई वभाग को रायल्टी के रूप में देंगे। इन **13** जलाशयों में से **05** जलाशय- **(1)** नानक सागर **(2)** बैगुल **(3)** धौरा **(4)** बौर **(5)** तुमरिया, वर्तमान में पूर्णतः उत्तराखण्ड राज्य में एवं **01-**शारदा सागर जलाशय का लगभग आधा भाग (**46.4** प्रतिशत) उत्तराखण्ड राज्य में स्थित है।

3- उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद भी उत्तर प्रदेश मत्स्य वकास निगम द्वारा इनकी नीलामी की गयी, जिसे मा**0** उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा अ धकार क्षेत्र से परे पाते हुए अपने आदेश दिनांक **15.09.2003** द्वारा उत्तराखण्ड राज्य या उसके निगम का अ धकार माना। वर्ष **2001** से 20**04** की अव ध में नीलामी से उत्तर प्रदेश मत्स्य वकास निगम को प्राप्त धनरा श में से संचाई वभाग,उ**0**प्र**0** को रायल्टी के रूप में प्राप्त होने वाली एक तिहाई धनरा श अर्थात रू**0 3,98,39,139/-**पर निर्णय हेतु समय-समय पर दोनों राज्यों की कई स्तरों की बैठकें आयोजित की गयीं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्य के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के वभाजन के लम्बित प्रकरणों पर देहरादून में दिनांक **17.08.2019** को आयोजित दोनों राज्यों के मुख्य स चव स्तर की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लया गया क-

"उत्तर प्रदेश मत्स्य वकास निगम ल मटेड,लखनऊ रू**0 3,98,39,139.00 (**रू**0** तीन करोड अट्ठानबे लाख उन्तालीस हजार एक सौ उन्तालीस मात्र) की धनरा श उत्तराखण्ड राज्य को देने पर सहमत है। भुगतान के उपरान्त प्रकरण निक्षे पत माना जायेगा।**"**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

4- संयुक्त बैठक में स्थिर कये गये उक्त मत एवं तदानुक्रम में उ0प्र0 कार्य नियमावली, **1975** यथासंशों धत की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 17 में प्रा वधानित व्यवस्था के आलोक में धनरा श रू0**3,98,39,139.00** उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक वकास अ भकरण को दिये जाने पर मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त कया गया।

5- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है क उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात नानक सागर, बैगुल, धौरा, बौर, तुमरिया व शारदा सागर जलाशय की उ0प्र0 मत्स्य वकास निगम ल0 लखनऊ द्वारा की गयी नीलामी से प्राप्त ब्याज सहित कुल धनरा श में से एक तिहाई धनरा श रू0 **3,98,39,139.00** की रायल्टी संचाई वभाग, उ0प्र0 द्वारा न लए जाने एवं तदनुसार उक्त धनरा श रू0 **3,98,39,139.00** उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक वकास अ भकरण को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके उपरान्त यह प्रकरण निक्षे पत माना जायेगा।

6- कृपया उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रश्नगत धनरा श रू0 **3,98,39,139.00** उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक वकास अ भकरण को तत्काल हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख स चव।

संख्या 9/ 2021 / 310/ सत्रह-म-2021 तददिनांक

प्रति ल प: निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत –

1- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा)/ (स वल आ डट) उ0प्र0 प्रयागराज।
2- स्टाफ आ फसर, मुख्य स चव, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आ फसर, मुख्य स चव, उत्तराखण्ड देहरादून।
4- वशेष कार्या धकारी, कृ ष उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य स चव/प्रमुख स चव, वत्त/न्याय/नियोजन वभाग उ0प्र0 शासन।
6- अपर मुख्य स चव, संचाई वभाग उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख स चव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय वभाग, उ0प्र0 शासन।
8- प्रमुख स चव/ स चव, मत्स्य वभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
9- प्रमुख स चव/ स चव, संचाई वभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
10-निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।
11- निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक वकास अ भकरण, देहरादून।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0एम0ए0 रिजवी)
वशेष स चव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

उ0प्र0 कार्य नियमावली, 1975 यथा संषो धत 2019 की प्रथम अनुसूची मंे उल्लि खत मामलों को कैबिनेट के समक्ष लाये जाने का प्रा वधान है। उक्त अनुसूची के क्रमांक-17 पर यह उल्लेख कया गया है क-

"17- ऐसे प्रस्ताव जिनमें प्रत्येक मद मंे 25.00 लाख रूपये से अ धक और प्रत्येक वभाग हेतु सम्पूर्ण वर्ष के लए 1.00 करोड रू0 से अ धक मूल्य की सरकारी सम्प त्त का अस्थाई या स्थाई अन्य संक्रमण, वक्रय, अनुदान या पट्टा या उक्त धनरा ष से अ धक भू-राजस्व का परित्याग या कटौती या हानि को बट्टे खाते में डालना, अन्तग्रस्त हो....।"

जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में स्थित 05 जलाशयों एवं उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड दोनों राज्यों में स्थित शारदा सागर जलाशय से वर्ष 2001-02 से 2003-04 की अव ध में प्राप्त कुल आय में से संचाई वभाग, उ0प्र0 के रायल्टी अंश की धनरा श रू0 **3,98,39,139.00** उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasnadesh up.nic.com

पालक वकास अ भकरण को हस्तानान्तरित कये जाने के सम्बंध में कार्यवाही कये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध कया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है क शासन द्वारा सम्यक वचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में निम्नवत कार्यवाही कये जाने का निर्णय लया गया है :-

" उपरोक्त व र्णत परिस्थितियों व निर्णयों के क्रम में उ0प्र0 कार्य नियमावली, **1975** के नियम-**17** की व्यवस्था के आलोक में उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात नानक सागर, बैगुल, धौरा, बौर, तुमरिया व शारदा सागर जलाशय की उ0प्र0 मत्स्य वकास निगम ल0 लखनऊ द्वारा की गयी नीलामी से प्राप्त ब्याज सहित कुल धनरा श में से एक तिहाई धनरा श रू0 **3,98,39,139.00** की रायल्टी संचाई वभाग, उ0प्र0 न लए जाने एवं उक्त धनरा श रू0 **3,98,39,139.00** उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक वकास अ भकरण को दिये जाने का निर्णय लया गया है।"

(2)

कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख स चव।

संख्या / 2021 / / सत्रह-म-2021 तददिनांक

प्रति ल प: निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत -

11-महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) उ0प्र0 प्रयागराज।

12-महालेखाकार (स वल आ डट) उ0प्र0 प्रयागराज।

13-अपर मुख्य स चव/प्रमुख स चव, वत्त/न्याय/नियोजन/संचाई वभाग उ0प्र0 शासन।

14-स्टाफ आ फसर, कृ ष उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

15-नदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।

16-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

(एस0एम0ए0 रिजवी)

वशेष स चव।

http://shasnadesh.up.nic.com

उत्तर प्रदेश राज्य के वभाजन के पूर्व **1983** में संचाई वभाग के नियत्रंणाधीन **13** जलाशयों को मत्स्य वभाग द्वारा उत्तर प्रदेश मत्स्य वकास निगम ल**0** को संचाई वभाग द्वारा निर्धारित इस शर्त/प्रतिबन्ध के साथ हस्तानान्तरित कया गया था क वह प्राप्त होने वाले कुल राजस्व में से एक तिहाई भाग संचाई वभाग को रायल्टी के रूप में देंगे। इन **13** जलाशयों में से **05** जलाशय-**(1)** नानक सागर **(2)** बैगुल **(3)** धौरा **(4)** बौर **(5)** तुमरिया**,** वर्तमान में पूर्णतः उत्तराखण्ड राज्य में एवं **01-**शारदा सागर जलाशय का लगभग आधा भाग **(46.4** प्रतिशत) उत्तराखण्ड राज्य में स्थित है।

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद भी उत्तर प्रदेश मत्स्य वकास निगम द्वारा इनकी नीलामी की गयी**,** जिसे मा**0** उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा अ धकार क्षेत्र से परे पाते हुए अपने आदेश दिनांक **15.09.2003** द्वारा उत्तराखण्ड राज्य या उसके निगम का अ धकार माना। वर्ष **2001** से **04** की अव ध में नीलामी से उत्तर प्रदेश मत्स्य वकास निगम को प्राप्त धनरा श में से संचाई वभाग**,**उ0प्र**0** को रायल्टी के रूप में प्राप्त होने वाली एक तिहाई धनरा श अर्थात रू**0**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

3,98,39,139/-पर निर्णय हेतु समय- समय पर दोनों राज्यों की कई स्तरों की बैठकें आयोजित की गयी।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्य के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के वभाजन के लम्बित प्रकरणों पर देहरादून में दिनांक **17.08.2019** को आयोजित दोनों राज्यों के मुख्य स चव स्तर की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लया गया क संचाई वभाग उत्तर प्रदेश को रायल्टी के रूप में प्राप्त होने वाली एक तिहाई धनरा ष अर्थात रू**0 3,98,39,139/-**(तीन करोड अठ्ठानबे लाख उन्तालीस हजार एक सौ उन्तालीस मात्र) उत्तराखण्ड राज्य को दे दिया जाय। भुगतान के उपरान्त यह प्रकरण निक्षे पत माना जायेगा।

उक्त धनरा श रू**0 3,98,39,139/-**को पूर्व से ही राष्ट्रीयकृत बैंक में साव ध जमा के रूप में उत्तर प्रदेश मत्स्य वकास निगम द्वारा फ्रीज करके रखा गया है। प्रश्नगत धनरा श का हस्तानान्तरण उत्तराखण्ड को कर दिये जाने से दीर्घकाल से लम्बित प्रकरण का निस्तारण हो जायेगा।

सिंचाई विभाग उ0प्र0 के शासनादेश संख्या–247 DC(B)/67/XXIII–IB–109 दिनांक 25.03.1967 द्वारा अपने नियंत्रणाधीन तालाब/जलाशयों को कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन मत्स्य विभाग को उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि मत्स्य विभाग को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व में से एक तिहाई भाग सिंचाई विभाग को दिया जायेगा।

2– उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन के पूर्व वर्ष 1983 में मत्स्य विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 3563/12–मत्स्य–83 दिनांक 12.08.1983 द्वारा श्रेणी–1 के 13 जलाशयों–(1) शारदा सागर (2) जिरगो (3) सिरसी (4) कमला सागर (5) गोविन्द सागर (6) माताटीला (7) जामनी (8) बौर (9) धौरा (10) तुमरिया (11) बैगुल (12) नानक सागर (13) चन्द्रावल को उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 को प्रबन्ध व्यवस्था हेतु स्थानान्तरित किया गया था। उक्त 13 जलाशयों में से 05 जलाशय–(1) नानक सागर (2) बैगुल (3) धौरा (4) बौर (5) तुमरिया पूर्णतः वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं। छठे जलाशय शारदा सागर का 53.60 प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में एवं 46.40 प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तराखण्ड राज्य में स्थित है। इन जलाशयों से प्राप्त राजस्व का एक तिहाई भाग अनुरक्षण व्यय/रायल्टी के रूप में सिंचाई विभाग को मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 के माध्यम से उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 द्वारा दिया जाता रहा है।

3– दिनांक 30.06.2001 को उक्त 06 जलाशयों–(1) नानक सागर (2) बैगुल (3) धौरा (4) बौर (5) तुमरिया (6) शारदा सागर की नीलामी अवधि समाप्त हो जाने के कारण उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 द्वारा उक्त जलाशयों की नीलामी कार्यवाही हेतु दिनांक 29.06.2001 को तिथि निर्धारित करते हुए नीलामी सूचना समाचार–पत्रों में प्रकाशित करायी गयी। उक्त नीलामी के विरूद्व श्री खड़ग सिंह बोहरा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष रिट याचिका संख्या–657(एम/बी)/2001 खड़ग सिंह बोहरा बनाम उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 व अन्य

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

योजित की गयी, जिसमें आधार लिया गया कि दिनांक 09.11.2000 को उत्तराचंल राज्य का गठन हो चुका है तथा उपरोक्त जलाशय उत्तराचंल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं। अतः उक्त जलाशयों में मत्स्याखेट की नीलामी कराने का अधिकार उत्तरांचल राज्य को है न कि उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 को है। मा0 न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 26.06.2001 पारित करते हुए उक्त नीलामी को तत्समय स्थगित कर दिया गया। उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा

(2)

याचिका संख्या–18302/2001 योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय, द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2002 के माध्यम से नीलामी की अनुमति प्रदान करते हुए यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त जलाशयों से प्राप्त आय को सावधि जमा के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराया जाय, जो मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष लम्बित रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

4– रिट याचिका संख्या–657(एम/बी)/2001 खड़ग सिंह बोहरा बनाम उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 व अन्य एवं रिट याचिका संख्या–168(एम/बी)/2002 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2003 का प्रभावी व संगत अंश निम्नवत् है :–

(a) We hereby declare that the right to catch the fish from the above reservoirs namely, Nanak Sagar reservoir, Begul reservoir, Dhaura reservoir, Baur reservoir and Tumaria reservoir exclusively belong to the State of Uttaranchal whereas the fishery rights in case of Sharda sagar reservoir jointly belong to the State of U.P. and state of Uttaranchal to the extent of the area falling in the respective States.

(b) That U.P. Matsya Vikas Nigam Limited has no right of holding auction of the fishery rights in the above reservoirs.

(c) That State of Uttaranchal and / or its corporation alone shall have the right to hold auction in respect of fishrey rights for reservoirs for five, out of six reservoirs namely, Nanak Sagar reservoir, Begul reservoir, Dhaura reservoir, Baur reservoir and Tumaria reservoir. However, in respect of Sharda Sagar reservoir, there can be auction of fishery rights to be carried out jointy and the proceeds thereof have got to be shared proportionately between the two States depending on the area of the reservoir falling in the respective States. In respect of this sharing of the proceeds, the two States shall sit together and decide their respective proportionate share.

Accordingly, the writ petitions are disposed of. No order as to costs.

5– उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य मत्स्य विभाग के अन्तर्गत आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के सम्बंध में दोनों राज्यों की दिनांक 28.01.2017 को हुयी संयुक्त बैठक में निर्णय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

लिया गया कि कुल राजस्व एवं उस पर अर्जित ब्याज का 1/3 हिस्सा जिस पर सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का अधिकार बताया जा रहा है, को फ्रीज रखा जाये। इस विषयक निर्णय हेतु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के साथ–साथ मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी एक माह के अन्दर लखनऊ में बैठक कर निर्णय कर लें। उपरोक्त एक तिहाई धनरशि फ्रीज करने के बाद अवशेष धनराशि में से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 को उसके द्वारा उक्त जलाशयों के उक्त कालावधि में प्रबन्धन पर किये गये व्ययों पर मय ब्याज धनराशि दे दिया जाय तथा शेष धनराशि उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3)

6– उत्तराखण्ड राज्य के सचिव, मत्स्य एवं प्रमुख सचिव, सिंचाई व प्रमुख सचिव, मत्स्य की दिनांक 07.03.2017 को हुई बैठक में रिट याचिका संख्या–657(एम/बी)/ 2001 एवं रिट याचिका संख्या–168(एम/बी)/2002 में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराचंल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2003 के अनुपालन का निर्णय लिया गया। दिनांक 07.03.2017 को सम्पन्न हुई उक्त संयुक्त बैठक के कार्यवृत्त में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

''..... उत्तराखण्ड राज्य बनने के उपरान्त जितने भी जलाशय उत्तराखण्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं, उन पर उत्तराखण्ड राज्य का पूर्ण स्वामित्व है। यह बात मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 15.09.2003 में स्पष्ट कर दी गई है। उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से सभी जलाशयों में मत्स्य शिकार का कार्य भी उत्तराखण्ड मत्स्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है। 2001–2002 से 2003–2004 के मध्य उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ द्वारा मत्स्य आखेट का ठेका किया गया, जिसका राजस्व मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सावधि जमा के रूप में सुरक्षित रखा गया है। अब उसके विभाजन के समय उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 को प्रबंधन एवं प्रशासनिक व्यय (मय ब्याज) के अतिरिक्त समस्त धनराशि मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड को मिलनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य में सिंचाई विभाग को रायल्टी दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

विचार–विमर्श के बाद सिंचाई विभाग द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए रायल्टी न लेने के सम्बंध में प्रस्ताव सिंचाई विभाग के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को भेजकर अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा मत्स्य विभाग से की गयी।

शारदा सागर जलाशय के बारे में निदेशक मत्स्य उत्तराखण्ड द्वारा यह अवगत कराया गया कि जितना भाग उत्तराखण्ड के भौगोलिक क्षेत्र में है, उसी अनुपात में कुल राजस्व में से राजस्व उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाए तथा उत्तराखण्ड के अंश में से रायल्टी सिंचाई विभाग उ0प्र0 के पक्ष में न काटी जाए। इस पर सिंचाई विभाग द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

सैद्धांतिक सहमति देते हुए प्रकरण में पॉच जलाशय जो उत्तराखण्ड के भौगोलिक क्षेत्र में है, की भॉति प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।''

7— मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश दिनांक 15.09.2003 के अनुपालन के क्रम में आयोजित उक्त बैठक दिनांक 28.01.2017 के कार्यवृत्त के अनुसार कार्यवाही करते हुए उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 द्वारा उत्तराखण्ड मत्स्य पालक विकास अभिकरण के साथ मिलकर संयुक्त रूप में मत्स्य वर्ष 2001—02 से 2003—04 तक उत्तराखण्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले प्रश्नगत जलाशयों के राजस्व एवं उस पर अर्जित ब्याज का आंकलन करते हुए कुल रू0 8,86,43,678.00 की धनराशि आंकलित की गयी, जिसमें शासनादेश दिनांक 25.03.1967 एवं दिनांक 12.08.1983 की व्यवस्था के अनुसार एक तिहाई भाग के रूप में रू0 3,98,39,139.00 की धनराशि सिंचाई विभाग की रायल्टी के रूप में आकलित की गयी।

(4)

8— उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के लम्बित प्रकरणों पर दोनों राज्यों के मुख्य सचिव स्तर की बैठक दिनांक 07.04.2018 एवं 28.06. 2018 को हुई। इसी क्रम में देहरादून में दिनांक 17.08.2019 को आयोजित दोनों राज्यों के मुख्य सचिव स्तरीय बैठक के कार्यवृत्त, जो संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित भी है, में विभाग से सम्बंधित बिन्दुओं पर निम्नवत् निर्णय लिया गया है:—

(1) सिंचाई विभाग:—

12— उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 से उत्तराखण्ड मत्स्य पालक विकास अभिकरण को देय रू0 3 करोड 98 लाख 39 हजार 139 रूपये दिये जाने पर सहमति हुई है। बीजकों के भुगतान की कार्यवाही के सम्बंध में।	मत्स्य विभाग से सम्बंधित एजेण्डा बिन्दु पर लिए गये निर्णय के अनुसार।

(8) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग :—

1—उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यों के मध्य मत्स्य विभाग के आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के लम्बित प्रकरण में हुई सहमति के अनुसार मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय धनराशि रू0 3,98,39,139.00 (रू0 तीन करोड अट्ठानबे लाख उन्तालीस हजार एक सौ उन्तालीस मात्र) को अर्जित ब्याज की धनराशि सहित उपलब्ध कराये जाने के संबंध	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड,लखनऊ रू0 3,98,39,139.00 (रू0 तीन करोड अट्ठानबे लाख उन्तालीस हजार एक सौ उन्तालीस मात्र) की धनराशि उत्तराखण्ड राज्य को देने पर सहमत है। भुगतान के उपरान्त प्रकरण निक्षेपित माना जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

में।	

9— **उ0प्र0 कार्य नियमावली, 1975 यथा संशोधित 2019 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित मामलों को कैबिनेट के समक्ष लाये जाने का प्राविधान है। उक्त अनुसूची के क्रमांक—17 पर यह उल्लेख किया गया है कि—**

> ''17— ऐसे प्रस्ताव जिनमें प्रत्येक मद में 25.00 लाख रूपये से अधिक और प्रत्येक विभाग हेतु सम्पूर्ण वर्ष के लिए 1.00 करोड रू0 से अधिक मूल्य की सरकारी सम्पत्ति का अस्थाई या स्थाई अन्य संक्रमण, विक्रय, अनुदान या पट्टा या उक्त धनराशि से अधिक भू—राजस्व का परित्याग या कटौती या हानि को बट्टे खाते में डालना, अन्तर्ग्रस्त हो.... ।''

10— प्रश्नगत 06 जलाशय—नानक सागर, बैगुल, धौरा, बौर, तुमरिया व शारदा सागर मूल रूप में सिंचाई विभाग के जलाशय थे और मात्र मत्स्य प्रबन्धन व मत्स्याखेट हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कतिपय शर्तो के साथ मत्स्य विभाग को दिये गये थे, जिसके एवज में उक्त जलाशयों से प्राप्त आय का एक तिहाई भाग अनुरक्षण व्यय/रायल्टी के रूप में सिंचाई विभाग को दिया जाता रहा है। उक्त जलाशयों के सम्बन्ध में मत्स्य विभाग की भूमिका मात्र किरायेदार के समान थी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण में रायल्टी की धनराशि रू0 3,98,39,139.00 का परित्याग सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। अतः जिसके द्वारा उक्त धनराशि का परित्याग अथवा छोड़ा जा रहा है, उसी विभाग द्वारा प्रकरण को मा0 मंत्रि—परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किन्तु लिखित अनुरोध के बावजूद भी सिंचाई विभाग स्वयं प्रकरण को मा0 मंत्रि—परिषद के समक्ष

प्रस्तुत करने हेतु तैयार नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में आ रही किसी कठिनाई से अवगत कराया गया है। इसीलिए प्रश्नगत प्रकरण को मत्स्य विभाग द्वारा मा0 मंत्रि—परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

11— अतएव उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों व निर्णयों के क्रम में उ0प्र0 कार्य नियमावली, 1975 के नियम—17 की व्यवस्था के आलोक में उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् नानक सागर, बैगुल, धौरा, बौर, तुमरिया व शारदा सागर जलाशय की उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 द्वारा की गयी नीलामी से प्राप्त ब्याज सहित कुल धनराशि में से एक तिहाई धनराशि अर्थात् कुल रू0 3,98,39,139.00 की रायल्टी सिंचाई विभाग, उ0प्र0 द्वारा न लिये जाने एवं उक्त धनराशि रू0 3,98,39,139.00 उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण को दिया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।